ANNUAL REPORT
2013-2014

CARA

Central Adoption Resource Authority

Ministry of Women & Child Development

Government of India

Website : www.adoptionindia.nic.in

वार्षिक प्रतिवेदन
2013-2014

CARA

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम.
नई दिल्ली-110066

वार्षिक प्रतिवेदन

(2013-2014)

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	माननीय मंत्री (डब्लु.सी.डी.) का संदेश	v
	सदस्य सचिव, कारा की कलम से	vii
1.	कारा एवं संबद्ध अभिकरण	1
2.	प्रमुख उपलब्धियां	3
	क. ई-गवर्नेंस पहल	3
	ख. समर्थन एवं सरकारी संबंध	6
	ग. निरीक्षण और मॉनीटरी	6
	घ. विशेष जरूरतों वाले बच्चों का पुनर्वास	7
	ड. प्रशिक्षण और विकास	8
	च. मीडिया	13
	छ. आंकड़ा आधार	13
3.	आगे की राह	15
4.	वित्तीय विवरण	24

अनुलग्नक

क.	दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की राज्य-वार सूची	17
ख.	वर्ष 2013-14 के दौरान केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा किए गए निरीक्षण	19
ग.	वर्ष 2013-14 के दौरान केयरिंग्स पर आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रमों और व्यवहारिक प्रशिक्षणों की सूची	21
घ.	दत्तक-ग्रहण के राज्य-वार आंकड़े	23

मैंने हमेशा यह माना है कि पूरे समाज की तरह व्यक्तियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बहुत कम समय में होते हैं। जब हम शायद ही उम्मीद कर रहे होते हैं, तभी जीवन हमारे साहस और परिवर्तन की चाह को परखने के लिए कोई चुनौती खड़ा कर देता है, और ऐसे समय पर, हम यह ढोंग नहीं कर सकते कि कुछ भी नहीं हुआ है अथवा यह नहीं कह सकते कि हम अभी तैयार नहीं हैं। चुनौती इंतजार नहीं करेगी। जीवन पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यह निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का समय बहुत अधिक होता है कि हम अपने भाग्य को स्वीकार करें या न करें।

(पॉलो कोइल्हो, ब्राजीलियन लेखक)

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001

MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

सन्देश

अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के संबंध में बाल कल्याण के लक्ष्य उन्हें सुरक्षा, पारिवारिक संरक्षण (जैविक माता-पिता को प्रत्यावर्तन और पारिवारिक सुदृढ़ता) प्रदान करना और विभिन्न गैर-संस्थागत सेवाओं के माध्यम से उनका पुनर्वास करना हैं। सरकार ने कारा की स्थापना देश में विभिन्न संबद्ध अभिकरणों की सहायता से अनाथ और निरश्रित बालकों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने वाले नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए की है।

मुझे कारा की वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

दत्तक ग्रहण दत्तक बालक और दत्तक परिवार दोनों के जीवन में आमूल-चूल बदलाव लाता है। बालकों का दत्तक ग्रहण सभी स्तरों पर समयबद्ध प्रक्रिया द्वारा निर्देशित होना चाहिए ताकि दत्तक ग्रहण योग्य सभी बच्चों को दत्तक परिवार मिल जाएं और ऐसे बच्चों को लंबे समय तक संस्थाओं में न रहना पड़े।

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिनमें विशेषकर पक्षकारों द्वारा प्रक्रिया संबंधी विलंब शामिल है। यह भी देखा गया है कि अनेक बच्चे विभिन्न कारणों से दत्तक ग्रहण अभिकरणों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं।

मैं कारा की देश में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने और दत्तक ग्रहण व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) नामक सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को कार्यान्वित करने के प्रयासों की सराहना करती हूँ। मैं कारा से कहना चाहूँगी कि वे देश में राज्य सरकारों और संबंद्ध अभिकरणों एवं बाल देखरेख संस्थाओं की सहायता से हर अनाथ बच्चे को दस्तक ग्रहण सेवाएं उपलब्ध कराएं।

विशेष जरूरतों वाले बच्चों का पुनर्वास एक चुनौती है और कारा को ऐसे बच्चों का दत्तक ग्रहण उन्हें प्यार देने और उनकी देखरेख करने वाले परिवारों में कराकर उनके पुनर्वास के पर्याप्त प्रयास करने चाहिए।

मुझे विश्वास है कि कारा और इससे संबंद्ध अभिकरण अनाथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और अधिक उत्साह से निरंतर प्रयास करते रहेंगे।

Maneka Sanjay Gandhi
(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

आफिस : 'ए' विंग, शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001, फोन : 23074052-54, फैक्स : 23387384
निवास : 14, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001, फोन : 23357088, फैक्स : 23354321

सदस्य सचिव, कारा की डेस्क से

परिवार हमें अपनेपन की भावना देता है और हमें आजीवन संबंध प्रदान करता है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाल देखरेख संसाधन कितना भी सुसंसाधित क्यों न हो, एक संस्थागत जीवन स्नेही परिवार की देखरेख का स्थान कभी नहीं ले सकता। संस्थाओं में आ रहे अधिकांश बच्चों की अभिघातज पृष्ठभूमि होती है। यहां तक कि शिशु भी अत्यधिक पीड़ित होते हैं।

2. प्रत्येक बच्चे का परिवार का अधिकार महत्वपूर्ण होता है। प्यार, देखरेख और सहायता जो परिवार अपने बच्चों को देता है, की तुलना किसी भी संस्थागत देखरेख से नहीं की जा सकती है क्योंकि केवल माता-पिता ही अपने बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते हैं। दत्तक ग्रहण बच्चे हेतु सही माता-पिता तलाशने का एक माध्यम है और अन्य कोई साधन नहीं। दत्तक ग्रहण एक ऐसे बच्चे के पुनर्वास के सर्वोत्तम साधनों में से एक है जो परिवार विहीन है और यह बच्चे के कल्याण, उसकी सामान्य वृद्धि एवं विकास पर अभिप्रेत है।

3. अधिक आयु के बच्चे, सहोदर, चिकित्सीय देखरेख के जरूरतमंद बच्चे और कार्यात्मक दुर्बलता वाले बच्चे होते हैं जो या तो अनाथ, अभ्यर्पित या परित्यक्त होते हैं। यह सच है कि बच्चे का बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास परिवार की देखरेख और पालन-पोषण पर निर्भर होता है। और जब बच्चों का पालन-पोषण स्नेही और समर्थक पारिवारिक वातावरण में होता है, उनमें आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान, जिज्ञासा तथा सीखने की लालसा के उच्च्य स्तर प्रकट होने की संभावना होती है। दत्तक ग्रहण को सामान्यतः निराश्रित, परित्यक्त, अनाथ एवं त्यागे गए बच्चों के पुनर्वास के आदर्श साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह बच्चे को अति आवश्यक पैतृक प्यार, देखरेख एवं संरक्षण का पारिवारिक परिवेश प्रदान करने की कोशिश करता है।

4. दत्तक ग्रहण, चाहे वह घरेलू को अथवा अंतरराष्ट्रीय, सामान्यतः बच्चों के हितों को राज्य प्रायोजित देखरेख, चाहे वह पालन-पोषण देखरेख हो अथवा संस्थानीकरण, के किसी भी रूप से बेहतर पूरा करता है, यद्यपि इस सामान्य नियम के हमेशा अपवाद होंगे। हमारे देश के नागरिक अभी भी वैधानिक दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से पूर्णरूप से परिचित नहीं हैं। इसे अभी भी जटिल एवं पेचीदा प्रक्रिया माना जाता है। देश में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कारा दत्तक ग्रहण तथा गैर-संस्थागत देखरेख पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रमों, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरीय बैठकें, केयरिंग्स पर प्रशिक्षण, न्यायापालिका के साथ परामर्श, दत्तक एवं भावी दत्तक अभिवावकों का सम्मेलन और देश में दत्तक ग्रहण और गैर-संस्थागत देखरेख को बढ़ावा देने के अन्य समर्थन कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के आयोजन जैसी अनेक पहलें कर रहा है।

5. हाल ही में, भारत में दत्तक ग्रहण के बारे में व्यवहारगत परिवर्तन आया है। लोगों ने दत्तक ग्रहण को स्वीकार करने में न केवल उदारता दिखाई है, अपितु वे बालिकाओं और अधिक आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण के भी इच्छुक होते हैं। तथापि, बच्चों को एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसे अभिभावक नहीं मिलते हैं और उन्हें अपना पूरा बचपन संस्थाओं में बिताने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विशिष्ट जरूरतों वाले भी अनेक बच्चे होते हैं। अधिकांश मामलों में, ऐसे बच्चों को देश में परिवार नहीं मिलता है और उनमें से कुछ ही बच्चों का अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण हो पाता है। इसलिए, हमें अपनी परंपरागत सोच को चुनौती देने और विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को भी दत्तक ग्रहण करने की जरूरत है।

6. कारा ने राज्यों से आरआईपीए में से मान्यता दी जाने वाली संभाव्य एसएए को अभिनिर्धारित करने के लिए कहा है। यद्यपि, दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांतों और केयरिंग्स ने ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु दत्तक ग्रहण अभिकरणों के बीच संपर्क को सुगम बना दिया है, राज्य सरकारों को इस संबंध में अहम भूमिका निभानी होती है। कारा प्रत्येक दत्तक ग्रहण अभिकरण को कई बाल देखरेख संस्थाओं से जोड़ने की प्रक्रिया में है ताकि परिवार के जरूरतमंद प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा जा सके।

7. इसके साथ ही, कारा देश में अनाधिकृत दत्तक ग्रहण को रोकने के लिए उत्कृष्ट उपाय कर रहा है। दत्तक ग्रहण के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैर-कानूनी / अप्राधिकृत दत्तक ग्रहण है। विभिन्न संस्थाएं जैसे कि गैर-पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाएं अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम गैर-कानूनी / अप्राधिकृत दत्तक ग्रहण में लिप्त हैं जिन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है।

8. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शी प्रणाली (केयरिंग्स) नामक ऑन लाइन पोर्टल, जो दत्तक ग्रहण प्रणाली में अधिक पारिदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया एक प्रबोधन साधन है, की शुरूआत के साथ दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब प्रत्येक भावी अभिभावक को केवल एक विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएसए) अथवा मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण (आरआईपीए) के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है और यह पंजीकरण www.adoptionindia.nic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

9. कारा सभी पक्षकारों की भागीदारी का स्वागत करता है और उनसे 27 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'मार्गदर्शी सिद्धांत, 2011' का निष्ठापूर्वक अनुपालन करने का अनुरोध करता है।

हस्ता./-

सदस्य सचिव, कारा

परिवर्णी शब्द

एएफएए	:	अधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण
सीए	:	केन्द्रीय प्राधिकरण (अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के संबंध में हेग कन्वेशन के अधीन केंन्द्रीय प्राधिकरण के रूप में नामोदिष्टित सरकारी विभाग)
सीएआरए	:	केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण
आरआईपीए	:	मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण
एसएए	:	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण
पीएपी	:	भावी दत्तक माता-पिता
सीएआरआई एनजीएस	:	बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली
आईईसी	:	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण
आईसीटी	:	सूचना और संचार प्राद्योगिकी
एमआईएस	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली
सीडब्लूसी	:	बाल कल्याण समिति
एआरसी	:	दत्तक-ग्रहण अनुशंसा समिति
आईसीपीएस	:	समेकित बाल संरक्षण स्कीम
जे.जे. एक्ट	:	किशोर न्याय अधिनियम
यूटी	:	संघ राज्य क्षेत्र
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाण पत्र

अध्याय : 1

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और संबद्ध अभिकरण

1.1 केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) : केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और इसे देश के भीतर तथा अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की मॉनीटरी एवं विनियम करने का अधिदेश प्राप्त है। कारा वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण संबंधी हेग कन्वेशन के उपबंधों के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण पर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामोदेष्टित है। कारा मुख्यतः अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों का दत्तक-ग्रहण संबंधी कार्रवाई अपने संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के माध्यम से करता है।

इस स्वायत्त निकाय का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत कराया गया था तथा इसका अभिशासन इसके संघ के ज्ञापन एवं सेवा उप नियमों और यथा प्रयोज्य सरकार के अन्य नियमों द्वारा होता है। इसकी एक प्रबंधन समिति है जिसमें सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। इस समय, इसके संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 27 है।

कारा का विज़न देश में प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे के लिए पालन-पोषण एवं देखरेख करने वाले परिवार की तलाश करना है। इसका मिशन देश के प्रत्येक कोने में दत्तक-ग्रहण सेवाओं का विस्तार करना, दत्तक-ग्रहण के माध्यम से बच्चों के शीघ्र पुनर्वास के प्रयास करना, दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के कार्यकरण में मानकीकरण सुनिश्चित करना, दत्तक-ग्रहण में नैतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और दत्तक-ग्रहण के इच्छुक माता-पिता को सुविधाएं प्रदान करना है। कारा का मुख्य उद्देश्य यथासंभव अधिक से अधिक ऐसे भारतीय बच्चों के दत्तक-ग्रहण को, जो दत्तक-ग्रहण से लाभान्वित होंगे, सुकर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि भावी दत्तक माता-पिता को अनावश्यक दुःसह अपेक्षाओं को सहन किए बिना, अनुचित विलंब और अवैध मांग के बिना दत्तक-ग्रहण हेतु दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चे उपलब्ध रहें। कारा से दत्तक-ग्रहण हेतु पात्र बच्चों के बारे में सूचनाओं के लिए निकासी गृह के रूप में कार्य करना; जन जागरूकता अभियान विकसित करना; अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना; अन्य केन्द्रीय प्राधिकरणों तथा विदेशी मिशनों से संपर्क करना और दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों का दत्तक-ग्रहण पश्च अनुवर्तन एवं देखरेख सुनिश्चित करना अपेक्षित है। कारा माता-पिता की देखरेख के बिना रह रहे बालकों का वैकल्पिक परिवारों में त्वरित स्थापन करने का समर्थन करता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी, दत्तक-ग्रहण प्रणाली में दोनों स्तरों, दत्तक-ग्रहण पूर्व स्तर तथा दत्तक-ग्रहण के दौरान विलंब होता है।

1.2 राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) : 'बालकों के दत्तक-ग्रहण के अभिशासी दिशानिर्देश - 2011' के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार से राज्य में कारा के साथ समन्वय से दत्तक-ग्रहण के कार्य तथा गैर-संस्थागत देखरेख के कार्य का समन्वय करने, उसकी मॉनीटरी करने तथा उन्हें विकसित करने के लिए राज्य में नोडल निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) की स्थापना करना अपेक्षित है। जहां तक देश के भीतर दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने का संबंध है, इसे यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रवेश दिए गए सभी बच्चों एवं भावी दत्तक माता-पिता के पंजीकरण सहित सभी दत्तक ग्रहणों पर कार्रवाई कयरिंग्स में ऑनलाइन की जाए और इसे जागरूकता के प्रयास करने होते हैं एवं सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान चलाने होते हैं। विनियामक निकाय के रूप में इसे कारा के दिशानिर्देशों में यथा उपबंधित दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के कार्यकलापों का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण करने होते हैं। इसके अलावा,

इसे मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण तथा विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के बीच संपर्कों की मॉनीटरी करनी होती है जबकि इसे ऐसे सभी बच्चों के, जो माता-पिता की देखरेख के बिना रह रहे हैं, असंस्थानीकरण के लिए बाल देखरेख संस्था और मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण/विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के बीच संपर्कों को बढ़ावा देना होता है।

अभी तक, 22 राज्य अपने संबंधित राज्यों में दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण पहले से ही गठित कर चुके हैं। इसे जमीनी स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन करने और विभिन्न स्तरों पर विलंब को रोकने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) के साथ समन्वय करना होता है।

1.3 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए)/मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण (आरआईपीए) : दत्तक-ग्रहण में अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के स्थापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, किशोर न्याय अधिनिय, 2000 देश के भीतर दत्तक-ग्रहण में बच्चों के स्थापन के लिए विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एसएए) के रूप में प्रत्येक जिले में अपनी एक या एक से अधिक देखरेख संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने का राज्य सरकार को अधिकार देता है। प्रत्येक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की दत्तक-ग्रहण किए जाने वाले बच्चों, जैविक माता/माता-पिता और भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के लिए विशिष्ट भूमिका होती है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को सामान्यतः समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है जो सरकार-सिविल समाज की भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के साथ-साथ अन्य संवेदनशील बच्चों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण बनाने पर उद्देशित एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।

बच्चों के दत्तक-ग्रहण में स्थापन के लिए राज्य स्तर पर लगभग 402 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण कार्य कर रहे हैं और ऐसे अभिकरणों की सूची **अनुलग्नक - क** में दी गई है। 402 अभिकरणों में से, 71 अभिकरणों को बच्चों को अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण में स्थापन कराने के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण (आरआईपीए) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण की भूमिका में इसकी बच्चों के लिए भूमिका, इसकी देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की देखरेख, संरक्षण एवं कल्याण के लिए उत्तरदायी होना तथा उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना; विशेष जरूरतों वाले बच्चों की विशेष देखरेख; भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक जरूरतें; शैक्षिणिक एवं प्रशिक्षण जरूरतें; आराम एवं मनोरंजन गतिविधियां; सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा एवं शोषण से संरक्षण; सामाज की मुख्यधारा से जोड़ना, पुनः स्थापन एवं अनुवर्तन शामिल होती है। इसके अलावा, यह बच्चों के सुरक्षोपायों की मॉनीटरी करने सहित कारा के दिशानिर्देशों का अनुसरण करके उनका पुनः स्थापन एवं दत्तक-ग्रहण में उनका स्थापन करने के प्रयास करता है।

1.4 प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण (एएफएए)/केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) : कारा अनिवासी भारतीयों, प्रवासी भारतीय नागरिकों एवं सामान्यतः विदेशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को प्राधिकृत करता है। भारतीय बच्चे के दत्तक-ग्रहण हेतु विदेशी दत्तक माता पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने का इच्छुक विदेशी मान्यता प्राप्त अभिकरण अपने केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अनुमोदन हेतु कारा को आवेदन करेगा। कारा को आवेदन संबंधित देश मे भारतीय राजनायिक मिशन के कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा। ये अभिकरण अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में कार्रवाई करने के लिए प्राप्तकर्ता देशों में मान्यता प्राप्त अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। कुछ देशों में, केंद्रीय प्राधिकरण अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं जिसका अर्थ यह होता है कि प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण के बजाय ये निकाय भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को कारा को अग्रेषित करते हैं।

****

अध्याय : 2

मुख्य उपलब्धियां

क. ई-गवर्नेंस पहल : सरकार द्वारा बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंगस), दत्तक-ग्रहण पर एक ई-गवर्नेंस पहल का शुभारंभ फरवरी, 2011 में किया गया। यह वेब आधारित प्रबंधन और मॉनीटर प्रणाली पारदर्शी एवं अनुकूल दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। यह बच्चों एवं माता-पिता की देखरेख, सुविधा एवं आराम के सिद्धांतों पर आधारित अधिक बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह त्वरित एवं निर्बाध दत्तक-ग्रहण सुकर बनाती है, दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों की जवाबदेही में वृद्धि करती है, पक्षकारों का नेटवर्क तैयार करती है और कारगर नीति निर्माण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा आधार का रखरखाव करती है।

केयरिंगस से बच्चे एवं भावी दत्तक माता-पिता दोनों लाभान्वित होते है। दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चों और प्रतीक्षारत माता-पिता के आंकड़ा आधार का उपयोग करके देश में दत्तक-ग्रहण अभिकरणों में बच्चों तक पहुंचा जा सकता है और उनके शीघ्र पुनर्वास के लिए प्रतीक्षारत माता-पिता से मिलान किया जा सकता है। भावी दत्तक माता-पिता के लिए, केयरिंगस में किसी भी अभिकरण में दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चों की उपलब्धता, दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे, दत्तक-ग्रहण हेतु प्रस्तावित बच्चे की माता-पिता द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति और उनके मामलों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध होती है।

निष्कर्ष

1. **केयरिंगस पर दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का पंजीकरण :** यह मॉड्यूल देश के सभी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों से संबंधित और भावी दत्तक माता-पिता के बारे में प्रासंगिक सूचना दर्ज करने में सहायता करता है। बच्चों के प्रवेश से संबंधित आंकड़े और दत्तक-ग्रहण पश्च अनुवर्ती रिकार्ड, जब तक कि उन्हें दत्तक-ग्रहण डिक्री नहीं मिल जाती है, दर्ज किया जाता है। 402 अभिकरणों में से, 380 विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण पहले से ही ऑनलाइन पंजीकृत हैं। उपयोगी सूचना ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है।

तालिका सं. : 1

केयरिंगस पर पंजीकृत दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की वर्तमान स्थिति

अभिकरण का नाम	संख्या	केयरिंगस पर पंजीकृत	केयरिंगस पर अद्‍यतनीकरण
विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण	326	304	209
मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन	69	69	68
अभिकरण कुल	395	373	277

*अब कारा राज्य सरकारों की सहायता से सेवा प्रदाताओं के साथ व्यवहारिक सत्रों का नियमित आयोजन करता है ताकि उनके डैशबोर्ड आंकड़े वास्तविक आंकड़ों से मेल खाते हों और सभी बच्चों तक उनके पुनर्वास के लिए पहुंचा जा सके।

2. घरेलू दत्तक ग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता का ऑनलाइन पंजीकरण : सामान्यतः भारत में निवास करने वाले और भारतीय नागरिकता रखने वाले भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) अपनी पात्रता के बारे में जांच कर सकते हैं, दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया एवं अपेक्षाओं के बारे में जान सकते, उपयुक्त दत्तक ग्रहण अभिकरण खोज सकते और http://cara.nic.in/parents/parentregshow.aspx पर अपने आपको पंजीकृत कर सकते हैं।

यह वेबसाइट उनके आवेदनों की स्थिति का पता लगाने और मिलान किए गए बच्चे को ऑनलाइन देखने को भी सक्षम बनाती है। भावी दत्तक माता-पिता किसी भी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण (एसएए) अथवा मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण (आरआईपीए) को वरीयता देते हुए केयरिंग्स पर अपने आपको अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं। भावी दत्तक माता-पिता के लिए एक पंजीकरण पर्ची तैयार होती है। अभिकरण, दस्तावेजों की संवीक्षा, अनुवर्ती परामर्श एवं गृह अध्ययन के बाद, दम्पती की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे उपयुक्त बालक का दम्पति को प्रस्ताव दे सकते हैं। भावी दत्तक माता-पिता दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों की उपलब्धता ऑनलाइन देख सकते है। दम्पति के पास एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण को बदलने की भी गुंजाइश होती है।

3. अंतर - राज्यीय घरेलू दत्तक-ग्रहण : भावी दत्तक माता-पिता ऑनलाइन केयरिंगस के माध्यम से किसी भी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण के साथ पंजीकरण करा सकते हैं और बच्चे को किसी भी भौगोलिक बाधा के बिना देश में किसी भी भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक दिया जा सकता है। दत्तक-ग्रहण के ऐसे भी मामलों में, भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट स्थानीय विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण द्वारा जहां पर भावी दत्तक माता-पिता सामान्यतः निवास करते हैं, तैयार की जाती है।

4. कारा में दत्तक-ग्रहण आवेदन प्राप्त करने की केन्द्रीय प्रणाली : काफी समय से अंतराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण स्थापन में माता-पिता स्वस्थ बच्चों एवं जीवन के पहले वर्ष में स्थापन किए गए बच्चों की जगह ऐसे बच्चों का दत्तक-ग्रहण करने, जो तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं और विशेष जरूरतों वाले होते हैं, को तैयार होते हैं। चूंकि अंधिकांश देश घरेलू दत्तक-ग्रहण की दिशा में बढ़ रह हैं, अंतराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण की पृवृत्ति ऐसे बच्चों के दत्तक-ग्रहण की ओर जा रही है, जिनका दत्तक-ग्रहण परंपरागत रूप कठिन होता है क्योंकि उनकी आयु अधिक होती है, उनकी जरूरतें विशेष होती हैं या बड़े पारिवारिक समूहों से आते हैं।

बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के माध्यम से अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण हेतु आवेदन प्राप्त करने की ऑनलाइन केन्द्रीय प्रणाली 20 जनवरी, 2012 से संचालन में है।

5. मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का शीघ्र स्थापन : इस मॉड्यूल ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के स्थापन, जिनका स्थापन करना कठिन माना जाता है, में तेजी को सुकर बनाया है। बच्चों के दत्तक-ग्रहण के अभिशासी दिशानिर्देशों का पैरा 44 विशेष जरूरतों वाले बच्चों का निम्नानुसार उल्लेख करता है:-

(क) दृश्य अथवा/और गंभीर चिकित्सीय परिस्थिति - मानसिक अथवा शारीरिक;

(ख) अधिक आयु के बच्चे;

(ग) सहोदर भाई/बहिन और

(घ) जन्म के समय अत्याधिक अल्पवज़नी बच्चे

वर्तमान में, ऐसे बच्चों को, जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम हैं, किसी विशिष्ट मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण को आबंटन नहीं किया जाता है। इसके बजाय, ऐसे बच्चों का ब्यौरा केयरिंग्स पर अपलोड किया जाता है और प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण से भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार ऑनलाइन मिलान करना अपेक्षित है।

6. **ऑनलाइन दत्तक पश्च अनुवर्तन :** अब प्राप्तकर्ता देशों में प्राधिकृत विदेशी दत्तक-ग्रहण अभिकरणों (एएफएए)/केंद्रीय प्राधिकरणों (सीए) को दो वर्ष की अवधि तक स्थापन पश्च प्रगति रिपोर्ट की हार्ड प्रति कारा और भारतीय अभिकरणों को भेजने के अलावा उसे ऑनलाइन भी भेजना होता है। छः स्थापन-पश्च रिपोर्टे, पहले वर्ष में चार और दूसरे वर्ष में दो रिपोर्टें अपेक्षित होती हैं। यह जनवरी, 2012 से नियत किया गया है। इसे घरेलू दत्तक-ग्रहण के मामलों में भी सुसाध्य बनाया गया है।

7. **विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण - मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण संयोजन के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के दत्तक-ग्रहण :** कारा ने विदेशों में रह रहे भावी दत्तक माता-पिता द्वारा उनके प्राधिकृत अभिकरणों/केंद्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के ऑनलाइन मिलान के लिए राज्यों में मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के बीच संयोजन स्थापित किया है। विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों को विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण में स्थापन के लिए नजदीकी मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण के साथ संयोजन करना होता है। एक मान्यता प्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण भी कारा द्वारा अग्रेषित आवेदनों के लिए विशेष जरूरतों वाले बच्चों के दत्तक-ग्रहण को सुकर बनाने के लिए उससे संयोजित किसी भी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण से संपर्क कर सकता है।

8. **राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण और जिला बाल संरक्षण एकक का मानीटरी मॉड्यूल :** समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अनुसार, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण (सारा) से चाइल्ड ट्रैकिंग प्रणाली के एक भाग के रूप में जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की सहायता से दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चों का केंद्रीयकृत वेब-आधारित आंकड़ा आधार बनाए रखना; विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए जिला बाल संरक्षण एकक की सहायता से भावी दत्तक माता-पिता के केंद्रीयकृत वेब आधारित आंकड़ा आधार का रखरखाव करना और राज्य में उनके बीच समन्वय सुनिश्चित करना अपेक्षित है। सारा मॉड्यूल के बाद, डीसीपीयू मॉड्यूल को प्रचालित किया गया है और डीसीपीयू बच्चों के आंकड़ों का सत्यापन और बच्चों के कल्याण की मानीटरी करने के लिए जिले में स्थापित दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की जिला स्तरीय सूचना तक पहुंच कर सकते हैं।

संबद्ध अभिकरणों और कारा द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया में कतिपय कमियां अभिनिर्धारित की गई हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। उच्च कोटि की व्यावसायिकता की जरूरत है क्योंकि 380 दत्तक अभिकरणों में से केवल आधे अभिकरण ही आंकड़ों को अद्यतन कर रहे हैं। आंकड़ों के अद्यतनीकरण से दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया बाधा रहित हो सकेगी, क्योंकि प्रतीक्षारत बच्चों और प्रतीक्षारत भावी दत्तक माता-पिता की संख्या काफी है। इस संबंध में, सारा और डीसीपीयू बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि बहुत से दत्तक-ग्रहण अभिकरण केयरिंग्स पर संपूर्ण दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया (प्रवेश से लेकर दत्तक-ग्रहण पश्च अनुवर्तन तक) को पूरा नहीं करते हैं। विलंब नोटिस किया जाता

क्योंकि भारत में दत्तक-ग्रहण अभिकरण सीएसआर और एमईआर अपलोड करने में काफी समय लेते हैं। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए परिवार खोजने का व्यापक क्षेत्र है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः बिना देरी के परिवार मिल जाते हैं। सारा और डीसीपीयू विशेष जरूरतों वाले बच्चों से संबंधित सूचना अपलोड करने के लिए देश के सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों से संपर्क कर सकते हैं। डीसीपीयू विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण का बाल देखरेख संस्थाओं के साथ संयोजन कर सकता है ताकि बाल देखरख संस्था के दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चे भी दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया से जुड़े जाएं।

ख. राज्य सरकार/अन्य पक्षकारों का समर्थन और उनके साथ समन्वय : सतत संवर्धनात्मक प्रयासों और सरकार एवं दत्तक-ग्रहण अभिकरणों के बीच वर्धित समन्वय से बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली तैयार हुई है। कारा एल.के. पाण्डे बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं ही दत्तक-ग्रहण आदेश जारी कराने के लिए विभिन्न न्यायालयों में जाता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 41 के अनुसार बच्चों के पुनर्वास के लिए जो अनाथ, परितयक्त या अभ्यर्पित हैं, और इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली और दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा विहित तंत्र के माध्यम से दत्तक-ग्रहण किया जाए। लेकिन, ऐसे बच्चों को दत्तक-ग्रहण में केवल तभी दिया जा सकता है यदि वे संबंधित बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्लयूसी) द्वारा, जिनका गठन संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत किया जाता है, दत्तक-ग्रहण के लिए कानूनन मुक्त घोषित कर दिए जाते हैं। राज्य सरकारों से बाल कल्याण समितियों के स्तर पर होने वाले विलंब की जांच करने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा, कारा ने विदेश मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार दत्तक-ग्रहण किए गए सभी बच्चों को दस दिन की अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों को लिखा है। कारा अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में अनुशंसा प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्शों और बैठकों का आयोजन करता है। सारा का राज्य स्तर पर नोडल संपर्क बिंदु होने के कारण, कारा के लिए राज्य स्तर पर ऐसे निकायों से संपर्क करना सुविधाजनक हो गया है जिसके परिणामस्वरूप दत्तक-ग्रहण संबंधी कार्यक्रमों के प्रसार को व्यापक कवरेज और संवर्धन मिलता है।

कारा परामर्श बैठकों के माध्यम से और आईसीपीएस के अधीन विभिन्न अवसंरचनाओं के कार्यकरण की मानीटरी के लिए स्थापित परियोजना मूल्यांकन बोर्डों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ नियमित विचार-विमर्श भी करता है। ऐसे कार्यक्रमों ने कारा को दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम के पक्षकारों की प्रत्याशाओं का मानचित्रीकरण करने और ऐसे क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करने, जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, में सक्षम बनाया है।

ग. निरीक्षण एवं मानीटरी : कारा ने दत्तक-ग्रहण कार्यक्रम का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का संयुक्त निरीक्षण किया है। संयुक्त निरीक्षण प्राप्त शिकायतों के आधार पर किए गए और नियमित वार्षिक निरीक्षण भी किए गए। कारा ने ऑनलाइन केयरिंग्स, एक महत्वपूर्ण

पहल, जो आंकड़ा आधार की समीक्षा को सुकर बनाती है, के माध्यम से दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की नियमित मानीटरी को सुकर बनाया है। दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की निरीक्षण रिपोर्टों ने कारा को कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने और विशेष जरूरत वाले बच्चों का दत्तक-ग्रहण में शीघ्र पुनर्वास करने में सक्षम बनाया है। कारा ने वर्ष 2013-14 में 44 दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण किया है। कारा द्वारा दत्तक-ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्न-ख** में दिया गया है।

घ. विशेष जरूरतों वाले बच्चों का पुनर्वास : बच्चों का कल्याण किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है जिसमें उनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा; शैक्षणिक उपलब्धि एवं ज्ञानात्मक उपलब्धि; और सामाजिक एवं भावनात्मक विकास शामिल होता है। बाल्यावस्था का दुखद पहलू यह होता है कि बहुत सारे बच्चे दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा, मानसिक बीमारियों, वयस्क व्यवहार से संबद्ध आघात, पदार्थ दुर्व्यवहार यौन संचारित बीमारियों और एचआईवी-एड्स आदि से पीड़ित होते हैं। विशेष जरूरतों वाले अधिकांश बच्चे व्यवहारात्मक एवं विकाससत्मक उद्विग्नताओं, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनश्चिकित्सीय कठिनाइयों, शैक्षणिक परेशानियों, श्रवण संबंधी समस्याओं, भाषा विकृतियों, मोह विकार अथवा बीमारियों और स्व-प्रेरणात्मक व्यवहारों आदि से पीड़ित होते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्यतः संस्थागत देखरेख में रखा जाता है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों में माता-पिता की देखरेख रहित बच्चे सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं।

यह देखा गया है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों की श्रेणी में; शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की संख्या सबसे अधिक होती है जिसके बाद अधिक आयु के बच्चे आते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि बहुत से बच्चे दत्तक-ग्रहण अभिकरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं और माता-पिता की आवक की तुलना में बच्चों की आवक कम होती है। चूंकि अधिक आयु के और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को देश में परिवार नहीं मिलते हैं, अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण में ऐसे बच्चों के दत्तक-ग्रहण को दीर्घकालीन संस्थानीकरण से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

तालिका संख्या : 2

विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों का पुनर्वास

दत्तक-ग्रहण	2010 (जनवरी से दिसम्बर)	2011 (जनवरी, 2011 से मार्च 2012)	2012-13 (अप्रैल, 2012 से मार्च 2013)	2013-14 (अप्रैल, 2013 से मार्च 2014)
देश के भीरत	5693 (89%)	5964 (89.5%)	4694 (93.5%)	3924 (89%)
अंतर-देशीय	628 (11%)	629 (10.5%)	308 (6.5%)	430 (11%) (430 बच्चों में से 283 बच्चे, जो कुल अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण का 67% है, विशेष जरूरतों वाले बच्चे हैं।

ङ. **प्रशिक्षण और विकास :** पक्षकारों की क्षमता निर्माण के लिए, कारा नीति एवं दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया और विभिन्न अधिनियमों, नियमावली एवं दिशानिर्देशों में यथा प्रदत्त दत्तक-ग्रहण संबंधी मामलों के बारे में सभी संबद्ध अभिकरणों तथा संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त जानकारी, कौशल एवं अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए, केयरिंग्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु तथा क्षेत्रीय जरूरतों एव अपेक्षाओं के बारे में भागीदारों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से अनेक अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानकों और राष्ट्रीय कानूनों और मौजूदा दत्तक-ग्रहण प्रणाली के दायित्वों के आलोक में, पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक-ग्रहण हेतु विधान/दिशानिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय मानक
2. केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देश
3. वर्ष 2003 में भारत द्वारा अनुसमर्थित अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण पर हेग कन्वेशन
4. केयरिंग्स पर सजीव प्रस्तुतिकरण और व्यवहारिक सत्र

भागीदारी का स्तर

(क) दत्तक-ग्रहण अभिकरण और अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों को रखने वाले बाल गृह एवं बाल कल्याण समितियों के सदस्य।

(ख) राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि, कार्यक्रम प्रबंधक - सारा, कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण और समर्थन), कार्यक्रम प्रबंधक (बाल संरक्षण), कार्यक्रम अधिकारी (सीएनसीपी), कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यक्रम अधिकारी (सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण और समर्थन), कार्यक्रम अधिकारी - सारा, परियोजना अधिकारी (एसपीएसयू), कार्यक्रम सहायक, सहायक (एससीपीएस), लेखाकार, एसएएसी के सदस्य, एआरसी कर्मी।

(ग) जिला बाल संरक्षण अधिकारी और उनके कर्मचारी

(घ) विधि - सह - परवीक्षा अधिकारी

(ड़) सदस्य, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)

(च) सिविल समाज, चाइल्ड लाइन/मुक्त आश्रय/बाल गृहों के सदस्य

(छ) भारतीय चिकित्सा संघ, शिशुरोग विशेषज्ञ संघ, स्त्री एवं प्रसुति रोग विशेषज्ञ संघ के राज्य चैप्टर और जिला चिकित्सा संघ के प्रतिनिधि।

वर्ष 2013-14 के दौरान, कारा ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से अनेक प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों का आयोजन किया। ब्यौरा **अनुलग्नक - ग** में दिया गया है।

तालिका संख्या : 3
प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के प्रकार

राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम	14
दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों, भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) और दत्तक माता-पिता के साथ विचार-विमर्श बैठक	5
राज्य सरकारों के साथ परामर्श बैठक	1
केयरिंग्स पर प्रशिक्षण	325 दत्तक ग्रहण अभिकरण

05 अगस्त, 2013 का आईएसटीएम, नई दिल्ली में आयोजित सारा मॉड्यूल पर राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम के दौरान राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों (सारा) के प्रतिभागी

06 सितम्बर, 2013 को पटना, बिहार में राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करती श्रीमती एन. विजयलक्ष्मी, भा.प्र.से. प्रभारी सचिव, समाज कल्याण विभाग

06 सितम्बर, 2013 को पटना, बिहार में राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. जे. पति, संयुक्त निदेशक, कारा

06 सितम्बर, 2013 को पटना, बिहार में आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम

28 मार्च, 2014 को कोलकाता में आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम

कोलकाता में दत्तक माता-पिता, भावी दत्तक माता-पिता (पीएपी) के साथ विचार-विमर्श बैठक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

कोलकाता में केयरिंग्स पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

16 एवं 17 नवम्बर, 2013 को बैंगलुरु में आयोजित विचार-विमर्श बैठक के दौरान दत्तक माता-पिता/भावी दत्तक माता-पिता और बच्चे

नई दिल्ली लोक कला मंच में माता-पिता, दत्तक-ग्रहण किए गए बच्चों और भावी दत्तक माता-पिता के साथ कारा की विचार-विमर्श बैठक में प्रतिभागियों के साथ श्री विवेक जोशी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

च. **मीडिया :** कारा प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, एफएम चैनलों पर ऑडियो स्पोटों का प्रसारण करके; और डिजिटल सिनेमा में वीडियों स्पॉटों का प्रसारण करके नीतिपरक दत्तक-ग्रहण पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है। कारा ने 17-30 नवम्बर तक आईएनए, दिल्ली हाट में और 17-29 नवम्बर तमक पीतमपुरा दिल्ली हाट में भी मंत्रालय द्वारा आयोजित 'वात्सल्य मेले' में भागीदारी की और इस अवसर का दत्तक-ग्रहण से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए उपयोग किया। कारा ने वातसल्य मेला, 2013 के दौरान निम्नलिखित सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण साहित्य का प्रकाशन किया जिसका उपयोग कारा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों में किया जाता है :

(i) 'दत्तक-ग्रहण : एक प्यारा विकल्प' विषय पर वर्ष 2013 का कलैंडर

(ii) निम्नलिखत पर सूचना सामग्री :

  (क) गृह सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मानक प्रपत्र

  (ख) भावी दत्तक माता-पिता के पात्रता मानदंड

  (ग) देश के भीतर और अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

छ. **आंकड़ा आधार :** दत्तक-ग्रहण के राज्य-वार आंकड़े **अनुलग्नक-घ** में दिए गए हैं।

कारा ने जुलाई और अक्तूबर, 2013 में प्रगति मैदान में आयोजित मेरी दिल्ली उत्सव में भी भागीदारी की

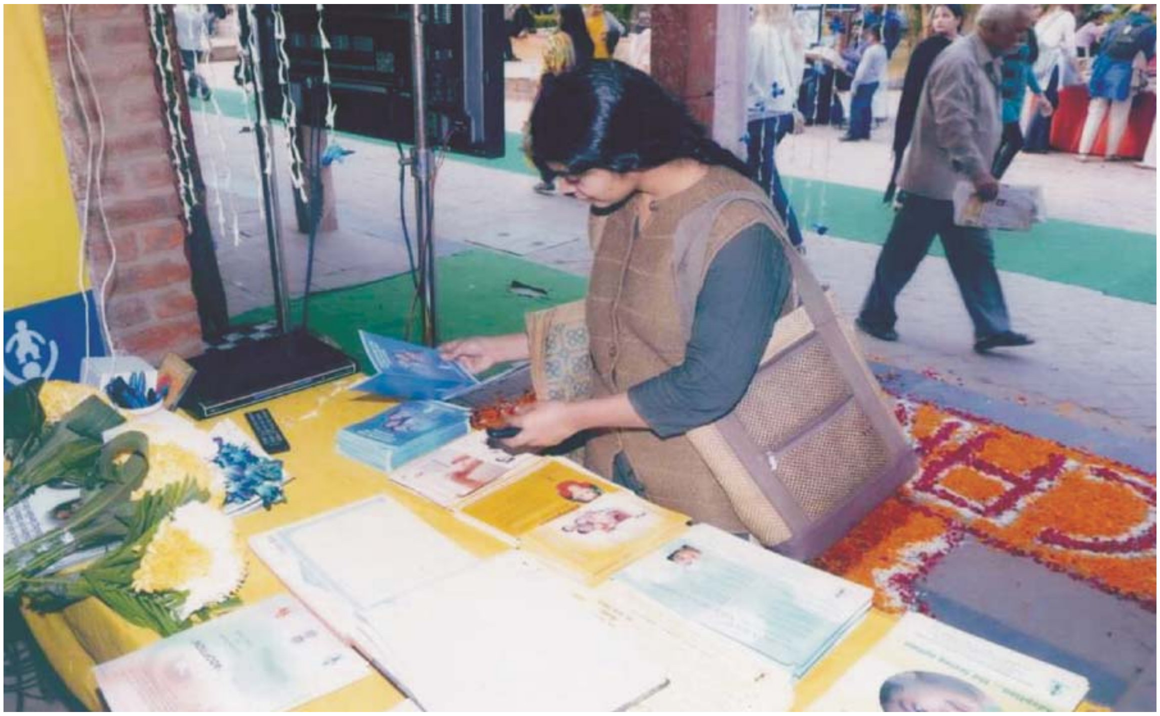

17-29 नवम्बर, 2013 के दौरान वात्सल्य मेंले में आईएनए दिल्ली हाट में दर्शक

17-29 नवम्बर, 2013 के दौरान पीतमपुरा दिल्ली हाट में वात्सल्य मेंले के दौरान दत्तक-ग्रहण के बारे में दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देते कारा के प्रतिनिधि

अध्याय : III

आगे की राह

संरक्षण, प्यार एवं देखरेख के अंतर्गत विकास के लिए बच्चे हेतु परिवार एक प्राथमिक इकाई है जो उसे देश का जिम्मेवार नागरिक बनाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था मानव के समग्र विकास का आधार होती है। यह वह अवधि होती है जब मनुष्य सहनशीलता, सम्मान एवं आपसी समझ की संस्कृति विकसित करते हैं। यह समाजीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। एक बच्चे को संस्था में रखना, जब बच्चे के लिए बेहतर विकल्प मौजूद हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। सभी अध्ययन इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि एक संस्थागत ढांचे में बच्चे का विकास अत्यधिक बाधित होता है और अधिकांश मामलों में, नुकसान जिंदगी भर बालक का पीछा करता रहता है।

पूरे विश्व में करोड़ों बच्चे अपने जैविक परिवारों से अलग हो जाते हैं। हम या तो उनके लिए सर्वोत्तम निर्णय ले सकते हैं जब वे बच्चे होते हैं और उन्हें समाज में भागीदारी करने के लिए उपयोगी वैश्विक नागरिक बना सकते हैं अथवा उनके बारे में गलत निर्णय ले सकते हैं ओर उन्हें समाज पर निर्भर रहते हुए विकास करने दें, आत्म-हत्या करने दें, उन्हें वेश्या बनने दें या मादक पदार्थों का आदी बनने दें।

दत्तक-ग्रहण भावना से ओत-प्रोत विषय है और यह आजीवन प्रतिबद्धता है। प्रत्येक दत्तक-ग्रहण बीसियों मानव दिलों को छू जाता है। माता-पिता को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जो ऐसे बच्चे के अनुकूल हो। दत्तक माता-पिता को बच्चे को न केवल भावनात्मक स्तर पर तैयार करना होता है अपितु उसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी समान रूप से तैयार करना होता है क्योंकि वे बच्चे, जिनका दत्तक-ग्रहण किया जाता है, स्वास्थ्य एवं अधिगम अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। वास्तव में, बहुत से बच्चे दत्तक-ग्रहण अभिकरणों तक नहीं पहुंच पाते हैं। निराश्रित बच्चों की विश्व की जनसंख्या में भारत की बड़ी भागीदारी को देखते हुए रिपोर्ट किए गए 6000 दत्तक ग्रहण हमारी घोर व्यथा व्यक्त करते हैं कि हम सभी को कठिन मेहनत करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि माता-पिता की देखरेख रहित सभी ऐसे बच्चों तक पहुंच हो और उनका पुनर्वास किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जबकि बच्चे दत्तक-ग्रहण अभिकरणों में प्रतीक्षारत होते हैं और भावी दत्तक-ग्रहण माता-पिता उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रणाली में भागीदारी कर रहे मान्यता प्राप्त अभिकरणों और प्राधिकारिणों में विभिन्न स्तरों पर उनके सम्मिलन में देरी कर दी जाती है। कुछ स्तरों पर, नियमों के बारे में गलत जानकारी एवं अनभिज्ञता होती है और बहुत से इसे वरीयता नहीं देते है। माता-पिता की देखरेख रहित बच्चों को सर्वाधिक अपेक्षित अवधि की न्यूनतम अवधि से अधिक संस्थानीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

दत्तक-ग्रहण अभिकरणों में बच्चों की आवक कम हो गई है; शायद बच्चे दत्तक-ग्रहण अभिकरणों तक नहीं पहुंच रहे हैं। आगामी दिनों में, कारा को माता-पिता की देखरेख रहित बच्चों तक पहुंच के प्रयास करने होंगे, राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरण सहित सभी सेवा प्रदाताओं एवं दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि दत्तक-ग्रहण योग्य बच्चे लंबे समय तक संस्थाओं में न रहें। उनका भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक-ग्रहण दिशानिर्देशों के अनुसार शीघ्र दत्तक-ग्रहण में स्थापन किया

जाए। कारा को दत्तक-ग्रहण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए केयरिंग्स नामक अपने सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग को सुदृढ़ बनाना होगा। केयरिंग्स पर ऑनलाइन पंजीकरण के बिना किसी भी दत्तक ग्रहण को अनुमति नहीं दी जाएगी। कारा देश के सभी जिला बाल संरक्षण एककों को जोड़ने की प्रक्रिया में है। जिला बाल संरक्षण एकक का कर्तव्य केवल अभिकरणों के कार्यकरण की मानीटरी करना ही नहीं है अपितु दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया में विलंब को कम से कम करने में सहायता करना भी है क्योंकि यह स्थानीय सरकार का प्रतिनिधत्व कर रही जिला स्तर पर स्थापित बाल संरक्षण सेवा है।

कारा को सभी भावी दत्तक माता-पिताओं के लिए बाधा रहित दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देना और दत्तक गृहों एवं बाल गृहों में माता-पिता की देखरेख रहित बच्चों का शीघ्र गैर-संस्थानीकरण करना होगा। कारा को इस विषय पर अधिक से अधिक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यकलाप आयोजित करने होंगे ताकि दत्तक-ग्रहण और अधिक पेशेवर तरीके से किया जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि कारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि दत्तक-ग्रहण अभिकरण दिशानिर्देशों में यथा निर्धारित विभिन्न नीतिपरक मानकों का अनुपालन करें, इन अभिकरणों का नियमित निरीक्षण करे।

अनुलग्क : क

दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्य	मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों की संख्या	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों एवं मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों की कुल संख्या
1	अंडमान	1	0	1
2	आंध्र प्रदेश	24	1	25
3	असम	8	1	9
4	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1
5	बिहार	3	0	3
6	छत्तीसगढ़	5	0	5
7	चंडीगढ़	1	0	1
8	दिल्ली	5	8	13
9	गोवा	1	2	3
10	गुजरात	15	4	19
11	हरियाणा	1	1	2
12	हिमाचल प्रदेश	1	0	1
13	झारखंड	5	1	6
14	कर्नाटक	27	6	33
15	केरल	23	5	28
16	मध्य प्रदेश	37	1	38
17	महाराष्ट्र	45	21	66
18	मिजोरम	4	1	5
19	मणिपुर	6	0	6

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की संख्य	मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों की संख्या	विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरणों एवं मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरणों की कुल संख्या
20	नागालैंड	2	0	2
21	ओडिशा	13	3	16
22	पंजाब	4	2	6
23	पुदुच्चेरी	0	2	2
24	राजस्थान	35	2	37
25	मेघालय	1	0	1
26	त्रिपुरा	4	0	4
27	तमिलनाडु	10	5	15
28	उत्तर प्रदेश	25	1	26
29	उत्तराखंड	1	0	1
30	पश्चिम बंगाल	23	4	27
	कुल	331	71	402

अनुलग्क : ख

दत्तक-ग्रहण अभिकरणों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण/विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण
1.	मनोज मंजरी, मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण, ओडिशा
2.	सैल्फ रियलाएजेशन मिशन, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण, आनंदपुर, क्योंझर
3.	राजकीय बाल गृह, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद
4.	मिरेकल फाउण्डेशन, मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण, खुंटी, झारखंड
5.	एमओसी, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण, रांची
6.	एसजीवीएस हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर, खुंटी, झारखंड
7.	एसओएफओएसएच, पुणे
8.	अखिल भारतीय पिंगवाडा धमार्थ सोसायटी, अमृतसर
9.	अनाथ कल्याण सोसायटी, जालंधर
10.	भाई घनय्या जी धर्मार्थ न्यास, जालंधर
11.	नारी निकेतन न्यास, जालंधर
12.	एमओसी, विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण, दार्जलिंग
13.	मातृ छाया शिशु गृह (विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण), वाराणसी
14.	शिशु गृह, चन्डौली
15.	बाल कल्याण गृह, सरिता विहार, दिल्ली
16.	राज्य द्वारा संचालित शिशु गृह, जयपुर
17.	सोपान एवं उपवन (एसओएस चिल्ड्रन्स विलेज दिल्ली)
18.	मातृछाया, पीरागढ़ी, दिल्ली
19.	एसपीईसी, कोलकाता
20.	आईएसआरसी, कोलकाता
21.	तवारू धमार्थ न्यास (विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण), जिला हसन, कर्नाटक

क्र.सं.	मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण/विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण
22.	कामधेनु सहकारी (शिशु केंद्र) (विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण)
23.	अनाथ शिशु निवास (विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण), बैंगलूरु
24.	सोसायटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी (प्रीतिनिनालय), मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण, कर्नाटक
25.	केनारा बैंक राहत कल्याण सोसायटी (मान्यताप्राप्त भारतीय स्थापन अभिकरण), बैंगलुरु, कर्नाटक
26.	केरल राज्य बाल कल्याण परिषद, केरल
27.	मिशन ऑफ चैरिटी, केरल
28.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सुंदरगढ़, ओडिशा
29.	महीपात्रम, गुजरात
30.	मिशनरीज ऑफ चैरिटी, गुजरात
31.	बसुन्धरा, कटक, ओडिशा
32.	चैन्नई, तमिलनाडु की एक दत्तक-ग्रहण एजेंसी
33.	नावा याइफा सांगलेन (शिशुगृह), पश्चिमी इम्फाल
34.	दिलीप नावा शंगलेन, पूर्वी इम्फाल
35.	शिशु गृह, थाउबल, इम्फाल
36.	आशीर्वाद दत्तक-ग्रहण केंद्र, नागपुर
37.	विवेकानन्द बाल सदन, नागपुर
38.	मातृ सेवा संघ, नागपुर
39.	न्यू एनर्जी बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर
40.	वरदान, नागपुर
41.	विश्व बाल कल्याण न्यास, नागपुर
42.	पटेल बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर
43.	श्रद्धानंद अनाथालय, नागपुर
44.	राजकीय बाल शिशुगृह, देहरादून

अनुलग्नक : ग

वर्ष 2013-14 के दौरान केयररिंग्स पर आयोजित राज्य अभिविन्यास कार्यक्रमों और व्यवहारिक प्रशिक्षणों की सूची

क्र. सं.	राज्य सरकार का नाम	तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश, बिहार	10 जून, 2013	23
2.	मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब	13 जून, 2013	51
3.	राजस्थान	17 जून, 2013	40
4.	कर्नाटक	29 जून, 2013	32
5.	गुजरात	22 अगस्त, 2013	18
6.	गुजरात	25 अक्तूबर, 2013	18
7.	कोची, केरल	19 नवम्बर, 2013	29
8.	हैदराबाद	20 जनवरी, 2014	62
9.	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	27 मार्च, 2014	52

कार्यक्रम की प्रकृति	प्रतिभागिता का स्तर	आयोजन स्थल	तारीख
राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन अभिकरणों एवं राज्य सरकारों की राष्ट्रीय परामर्श बैठक (1)	राष्ट्रीय स्तर	दिल्ली	05 अगस्त, 2013
राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम (11) राज्य का नाम			
झारखंड	राज्य स्तर	रांची	31 मई, 2013
पश्चिम बंगाल	राज्य स्तर	सिलीगुडी	13 जून, 2013
महाराष्ट्र	राज्य स्तर	पुणे	7 जून, 2013
कर्नाटक	राज्य स्तर	बैंगलुरु	28 जून, 2013
गुजरात	राज्य स्तर	गांधीनगर	23 अगस्त, 2013
बिहार	राज्य स्तर	पटना	6 सितम्बर, 2013

कार्यक्रम की प्रकृति/राज्य	**प्रतिभागिता का स्तर**	**आयोजन स्थल**	**तारीख**
गुजरात	राज्य स्तर	गांधीनगर	24 अक्तूबर, 2013
केरल	राज्य स्तर	कोची	18 नवम्बर, 2013
तमिलनाडु	राज्य स्तर	तिरिवल्लुर जिला	26 नवम्बर, 2013
हिमाचल प्रदेश	राज्य स्तर	शिमला	23 दिसम्बर, 2013
मणिपुर	राज्य स्तर	इम्फाल	31 जनवरी, 2014
असम	राज्य स्तर	गुवाहाटी	18 फरवरी, 2014
असम	राज्य स्तर	गुवाहाटी	26 फरवरी, 2014
पश्चिम बंगाल	राज्य स्तर	कोलकाता	28 मार्च, 2014
भावी दत्तक माता-पिता के साथ अधिवेशन			
i. पुदुच्चेरी	क्षेत्रीय स्तर	पुदुच्चेरी	21 जून, 2013
ii. कर्नाटक	क्षेत्रीय स्तर	बैंगलुरु	28 जून, 2013
iii. दिल्ली	क्षेत्रीय स्तर	दिल्ली	16 दिसम्बर, 2013
iv. कर्नाटक	क्षेत्रीय स्तर	बैंगलुरु	17-18 नवम्बर, 2013
v. पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय स्तर	कोलकाता	28 मार्च, 2013

अनुलग्नक : घ

दत्तक-ग्रहण के राज्य-वार आंकड़े

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013 (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014)	
		देश के भीतर	अंतरदेशीय
1	अंडमान	4	0
2	आंध्र प्रदेश	272	15
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	91	3
5	बिहार	56	0
6	छत्तीसगढ़	28	0
7	दिल्ली	156	70
8	गोवा	10	0
9	गुजरात	138	10
10	हिमाचल प्रदेश	11	0
11	हरियाणा	34	8
12	झारखंड	153	10
13	कर्नाटक	320	15
14	केरल	185	13
15	मणिपुर	5	0
16	मध्य प्रदेश	176	3
17	महाराष्ट्र	1068	144
18	मिजोरम	14	2
19	नागालैंड	8	0
20	ओडिशा	182	26
21	पुदुच्चेरी	16	10
22	पंजाब	50	26
23	राजस्थान	182	5
24	तमिलनाडु	187	29
25	त्रिपुरा	24	0
26	उत्तर प्रदेश	176	0
27	उत्तराखंड	12	0
28	पंश्चिम बंगाल	366	33
	परिवारिक दत्तक-ग्रहण		8
	कुल	**3924**	**430**

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002

Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
Indraprastha Estate, New Delhi - 110002

सत्यमेव जयते

दूरभाष/Phone : 011-23454329 फैक्स/Fax : 23702271 ईमेल/Email : amg3hq@gmail.com

संख्या/No No. AMG-III/4-78/SAR/CARA/2014-15/1131 दिनांक/Date Dated : 05.11.2014

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषय : वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय/महोदया

मैं केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके प्रतिवदेन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिये संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जांए। कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए।

कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले वर्ष 2012-13 के तथा सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से संबंधित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (Disclaimer) अंकित करें :

''प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।''

भवदीया

अनुलगनक : यथोपरि

हस्ता/-

निदेशक (ए.एम.जी.III)

प्रतिलिपि :

श्री आशि कपूर, सचिव, केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पश्चिमी खण्ड 8, विंग 2 तृतीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। यह अनुरोध किया जाता है कि संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले वर्ष 2012-13 के तथा सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों। यह भी अनुरोध किया जाता है कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

अनुलग्नक : यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.-III)

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अलग से लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली (प्राधिकरण) के 31 मार्च, 2014 तक के संलग्न तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों और प्राप्ति एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा को 2014-15 की अवधि का कार्य सौंपा गया है। यह वित्तीय विवरण तैयार करना प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्ययत करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानों आदि से अनुरूपता के संबंध में अपनाई गई लेखा नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और विनियमितता) तथा दक्षता - सह - निष्पादन पहलुओं आदि से अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित और संचालित करें जिससे यह मालूम हो सके कि वित्तीय विवरणों में कोई स्थूल गलत बयानी तो नहीं है। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटीकरण के पक्ष में दिए गए साक्ष्यों की जांच करना सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का जायाजा लेना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी व्यक्त राय को एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट देते हैं कि :

(i) हमने वह सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ii) इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय और व्यय के लेखों/प्राप्तियां और भुगतान के लेखों पर विचार किया गया है वे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारे विचार से, प्राधिकरण द्वारा खाता बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव उपयुक्त रूप में किया गया है, जैसाकि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं :

क. तुलन-पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची - 7) 1.73 करोड़ रुपये

क.1.1.1लेखों में वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान नहीं किया गया।

क.2 परिरांपत्तियां

क.2.1 मौजूदा परिसंपत्तियां (अनुसूची-11) - 8.90 करोड़ रुपये

क.2.1.1कारा ने विभिनन पक्षकारों को 0.62 लाख रुपये के चैक जारी (मार्च, 2012 से जूलाई, 2013 के बीच जारी) किए जिन्हें 31 मार्च, 2014 तक भुनाया नहीं गया था। इन मियाद खारिज चैकों को पुनरांकित नहीं किया गया, जिससे वर्तमान परिसंपत्तियों (बैंक शेष) और देयताओं (ऋणदाताओं) में इतनी ही राशि कम बताई गई।

क.3 निवेश (अनुसूची - 10) - 54.70 लाख रुपये

क.3.1 अधिवर्षिता राशि के निवेश के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार, बैंक एफडीआर में अधिकतम 40% तक राशि का निवेश किया जा सकता है। कारा ने उपदान और अवकाश वेतन की 54.70 लाख रुपये की कुल संचित राशि का सिंडीकेट बैंक की मियादी जमा में निवेश किया जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पद्धति से असंगत था।

ख. सामान्य

ख.1 वर्ष 2011-12 और 2012-13 की अलग -अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत नहीं की गई।

ख.2 वेतन की गणना संग्रहण आधार के बजाय नकद आधार पर की गई।

ख.3 अनुसूची 8 (स्थायी परिसंपत्तियां - योजना) में, पिछले वर्ष के अंत में फर्नीचर और जुडनारों का निवल ब्लॉक 32.51 लाख रुपये था, जबकि अनुसूची-8 में संलग्न अनुलग्नक-क के अनुसार, इसे 31.51 लाख रुपये दर्शाया गया था। उसी प्रकार अनुसूची-8 में, फर्नीचर और जुड़नारों का निवल ब्लॉक 30.45 लाख रुपये दर्शाया गया था, जबकि अनुसूची-8 में संलग्न अनुग्लनक-क के अनुसार, यह 29.52 लाख रुपये था। आंकड़ों के अंतर में सुधार किए जाने की जरूरत है।

ग. सहायतानुदान

वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राधिकरण को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुदान के रूप में 706.77 लाख रुपये (537.11 लाख रुपये 'योजना' और 169.66 लाख रुपये 'गैर-योजना) प्राप्त हुए। इसके पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के रूप में 2.24 लाख रुपये थे। इसके पास 10.69 लाख रुपये (4.48 लाख रुपये 'योजना' और 6.21 लाख रुपये 'गैर-योजना') की अन्य प्राप्तियां थीं। 719.70 लाख रुपये की कुल राशि में से, इसने वर्ष के दौरान 638.66 लाख रुपये (योजना के अंतर्गत 468.62 लाख रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 170.04 लाख रुपये) उपयोग किए और इस प्रकार वर्ष के अंत में 81.04 लाख रुपये (योजना : 75.21 लाख रुपये और गैर-योजना : 21.36 लाख रुपये) अव्ययित शेष रह गया।

घ. **प्रबंधन पत्र :** जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है वे, उपचारी/शोधक कार्रवाई के लिए अलग से, प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई हैं।

(v) पूर्ववर्ती पैराओं में टिप्पणियों के अध्याधीन हम यह जानकारी देते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा पर विचार किया गया है, वे खाता बहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इस लेखा परीक्षा के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों की एक सही और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय दत्तक गहण संसाधन प्राधिकरण के मामलों के संबंध में प्रस्तुत तुलन-पत्र से है, और

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय लेखा से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 03.11.2014

लेखापरीक्षा महानिदेशक
केंन्द्रीय व्यय

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

सनदी लेखाकार द्वारा 2013-14 तक की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई और इसे पर्याप्त पाया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित के मद्देनजर प्राधकिरण में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है :

- उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। इनमें से कुछ प्रमाण-पत्र 2006-07 से लंबित हैं।
- जीएफआर के नियम 159 के उल्लंघन में एनआईसी, डीएवी और के.लो.नि.वि. को 735.19 लाख रुपये की राशि का शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया गया।

  ➢ मानीटरन

- सांविधिक लेखा परीक्षा टिप्पणियों के प्रति प्रबंधन अनुक्रियात्मक नहीं है क्योंकि वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक की अवधि के 10 पैरा बाकाया हैं।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यायन केवल 2012-13 तक ही किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा को भौतिक सत्यायन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।

4. वस्तुओं की सूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

➢ पुस्तकों का भौतिक सत्यापन केवल 2013-14 तक ही किया गया है और कोई कमी नहीं पाई गई।

➢ लेखन सामग्री और उपभोग्य सामग्री का भौतिक सत्यापन 2012-13 तक ही किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा को भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।

5. सांविधिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

सांविधिक देनदारियों जैसे कि आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर, सहभागिता भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में 31.03.2014 को 6 महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

अनुलग्नक

(दिनांक 05.11.2014 का अ.शा. पत्र संख्या एएमजी-III/4-78/एएसआर/सीएआरए/2014-15/1134)

1. वर्ष 2012-13 के दौरान, 32.51 लाख रुपये का फर्नीचर एवं जुडनार खरीदे गए लेकिन मद-वार ब्यौरा नहीं दिया गया। ब्यौरे के अभाव में, इन परिसंपत्तियों की वास्तविक मौजूदगी और मूल्य ह्रास प्रभार की यथार्थता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता।

2. अनुसूची 21 में, 'परामर्श एवं सेवा प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत 35:21 लाख रुपये की राशि और 'देखरेख और परामर्श प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत 48.83 लाख रुपये करी राशि को 'कुल' कॉलम में नहीं दर्शाया गया। उसी प्रकार, 'मुद्रण और लेखन सामग्री' शीर्ष के अंतर्गत 4.61 लाख रुपये की राशि 'कुल' कॉलम में 3.46 लाख रुपये दर्शायी गई थी। परिणामस्वरूप, कुल योजना और गैर-योजना व्यय 348.50 लाख रुपये की जगह 263.31 लाख रुपये दर्शाया गया। इसमें सुधार किए जाने की जरूरत है।

3. वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राप्तियां तथा भुगतान की तरफ दर्शाए गए आंकड़ों में निम्नलिखित अंतर पाए गए :

(रुपये लाखों में)

शीर्ष योजना के अंतर्गत	**दशाई गई राशि (क)**	**दर्शाई जाने वाली राशि (ख)**	**अन्तर (कम करके बताया गया) (ग)**
प्राप्तियां की तरफ			
अनुदान : योजना - राजस्व	464.14	537.11	72.97
अनुदान : गैर योजना - राजस्व	159.26	165.09	5.83
निवल अंतर			**78.80**
भुगतान की तरफ			
प्रशासन व्यय (योजना) और विगत वर्ष के प्रावधान के विरुद्ध भुगतान	679.47	752.44	72.97
स्थापना व्यय (गैर योजना)	103.56	104.04	0.48
प्रशासन व्यय (गैर योजना) और विगत वर्ष के प्रावधान के विरुद्ध भुगतान	44.13	49.51	5.38
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (गैर योजना)	4.60	4.57	-0.03
निवल अंतर			**78.80**

31.03.2014 तक अव्ययित अनुदान का समायोजन करने के बाद प्राप्त निवल अनुदान को प्राप्तियां और भुगतान लेखे में लिया गया। इस अतिक्रमण से वर्ष 2013-15 के दौरान कारा की प्राप्तियों के साथ-साथ भुगतान दोनों को 78.80 लाख रुपये कम करके बताया गया।

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

कॉरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजीगत निधि	1	3,934,368.00	1,522,535.00	5,456,903.00	64,078,073.00	542,140.00	64,620,213.00
आरक्षित एवं आधिक्य	2	76,874,895.00	307,702.00	77,182,597.00			-
चिह्नित/अक्षय निधि	3						-
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4						-
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5						-
विलंबित ऋण देयताएं	6						-
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	7	8,225,179.00	9,099,380.00	17,324,559.00	46,479,562.00	8,310,532.00	54,790,094.00
व्यय पर आय का अधिक्य							
कुल		**89,034,442.00**	**10,929,617.00**	**99,964,059.00**	**110,557,635.00**	**8,852,672.00**	**119,410,307.00**
परिसंपत्तियां							
अचल परिसंपत्तियां	8	3,934,368.00	1,522,535.00	5,456,903.00	3,675,911.00	1,220,757.00	4,896,668.00
चिहिनत/अक्षय निधि से निवेश	9						-
निवेश - अन्य	10		5,470,230.00	5,470,230.00		4,204,953.00	4,204,953.00
मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	85,100,074.00	3,936,852.00	89,036,926.00	106,881,724.00	3,426,962.00	110,308,686.00
विविध व्यय							

(राशि रुपयों में)

कॉरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
(बट्टे खाते में नहां डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)							
कुल		**89,034,442.00**	**10,929,617.00**	**99,964,059.00**	**110,557,635.00**	**8,852,672.00**	**119,410,307.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24	-	-				
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
बिक्री/सेवाओं से आम	12			-			
अनुदान/सहायिकी	13	46,414,001.00	16,383,290.00	62,797,291.00	59,777,005.00	14,912,278.00	74,689,283.00
शुल्क/अभिदान	14						
निवेश से आय चिह्न्ति/अक्षय निधि से (निवेश से आय)	15						
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16						
अर्जित ब्याज	17	435,681.00	543,610.00	979,291.00	429,663.00	533,403.00	963,066.00
अन्य आय	18	12,047.00	77,398.00	89,445.00	3,262,203.00	74,178.00	3,336,381.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19			-			-
और चालू कार्य				-			-
कुल (क)		**46,861,729.00**	**17,004,298.00**	**63,866,027.00**	**63,468,871.00**	**15,519,859.00**	**78,988,730.00**
व्यय							
स्थापना व्यय	20		10,403,681.00	10,403,681.00		12,380,551.00	12,380,551.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	29,692,501.00	5,157,115.00	34,849,616.00	10,759,964.00	4,495,103.00	15,255,067.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22			-			-
ब्याज	23						
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची - 8 के अनुरूप)		438,038.00	155,405.00	593,443.00	156,965.00	162,235.00	319,200.00
कुल (ख)		**30,130,539.00**	**15,716,201.00**	**45,846,740.00**	**10,916,929.00**	**17,037,889.00**	**27,954,818.00**

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क-ख)		**16,731,190.00**	**1,288,097.00**	**18,019,287.00**	**52,551,942.00**	**(1,518,030.00)**	**51,033,912.00**
विशेष रिजर्व में अंतरण (विनिर्दिष्ट करें)			-			-	-
सामान्य रिजर्व से/में अंतरण			-			-	-
पूंजीगत निधि में डाला गया आधिक्य/(घाटा) के कारण शेष		**16,731,190.00**	**1,288,097.00**	**18,019,287.00**	**52,551,942.00**	**(1,518,030.00)**	**51,033,912.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	25						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां

प्राप्तियां

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
(I) अथ शेष :						
(क) हाथ रोकड	23,907	17,593	41,500	38,428	945	39,373
(क) बैंक में जमा राशि			-			-
(i) चालू खातों में (अव्ययित शेष)			-			-
(ii) जमा खातों में						-
(iii) बचत खाता (सिंडिकेट बैंक)	42,313	50,036	92,349	603,549	528,434	1,131,983
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	223,066	-	223,066	3,727,084		3,727,084
आईडीबीआई बैंक		27,682	27,682			
पिछले वर्ष के अग्रिम का समायोजन	106,592,438	3,331,651	109,924,089	61,291,815	3,851,702	65,143,517
(II) प्राप्त अनुदान :						
(क) भारत सरकार से :-						
i) राजस्व व्यय	4,64,14,001	15,926,107		55,683,000	13,631,011	69,314,011
ii) पूंजीगत व्यय	-	457,183	457,183	-	68,989	68,989
(ख) राज्य सरकार से						-
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा)						-
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान						-
अलग से दर्शाया जाए)						-
(III) निवेश पर निम्नलिखित से आय :						-
(क) चिह्नित/अक्षय निधि						-
(ख) स्वयं की निधियां (अन्य स्रोत)		1,702,571	1,702,571		435,000	435,000
(IV) प्राप्त ब्याज :						-
(क) बैंक जमा राशि पर :						-

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
(ख) ऋण, अग्रिम आदि						
(ग) बचत खाता	435,681	238,200	673,881	429,663	179,652	609,315
प्रोद्भूत व्याज (वर्ष के दौरान प्राप्त)		305,410	305,410		353,751	353,751
(V) अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें) :	-		-	-		-
विविध : प्राप्तियां	12,047	-	12,047		11,500	
अंतरराष्ट्रीय बैठक पंजीकरण शुल्क	-		-	3,262,203		3,262,203
अन्य आय	77,108	77,108		61,968	61,968	
आरटीआई के लिए प्राप्ति		290	290		710	710
फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग पर छूट			-			-
(VI) उधार ली गई राशि :						-
(VII) कोई अन्य प्राप्तियां						-
(ब्यौरा दें) :						-
प्रतिभूति जमा		-	-		-	-
कर्मचारी भविष्य निध		-			-	-
कुल	**153,743,453**	**22,133,831**	**175,877,284**	**125,035,742**	**19,123,662**	**144,147,904**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि/समाप्त वर्ष के लिए भुगतान

भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
(I) व्यय :						
(क) स्थापना व्यय		10,356,284	10,356,284		10,996,141	10,996,141
(ख) प्रशासनिक व्यय	67,946,886	4,412,664	72,359,548	14,902,769	3,960,999	18,863,768
(ग) पिछले वर्ष के प्रावधानों के लिए भुगतान				-	-	-
(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के लिए किया गया भुगतान :						
(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम साथ में दर्शाया जाना चाहिए)						
(III) किया गया निवेश और जमा :						
(क) चिह्नित/अक्षय निधि में से		-	-		-	
(ख) स्वयं की निधि में से (अन्य निवेश)		2,967,848	2,967,848		670,571	670,571
(IV) स्थायी परिसंपत्तियों और पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय						
(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	696,495	460,183	1,156,678	3,251,249	68,989	3,320,238
(ख) पूंजीगत चालू कार्य पर व्यय						
(V) ऋण और अग्रिम :						
(क) भारत सरकार को						

भुगतान	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
(ख) राज्य सरकार को						
(ग) अन्य को	77,579,857	2,579,733	80,159,590	106,592,438	3,331,651	109,924,089
(VI) वित्तीय प्रभार (व्याज) :						
(VII) अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें) :						
(VIII) अंत शेष :						
(क) हाथ रोकड़	16,624	19,036	35,660	23,907	17,593	41,500
(ख) बैंक में जमा राशि :-			-			
(i) चालू खातों में						
(ii) जमा खातों में						
(iii) बचत खातों में (यूबीआई)	5,395,392	-	5,395,392	223,066		223,066
आईडीबीआई	-	28,800	28,800		27,682	27,682
सिंडिकेट बैंक	2,108,201	1,309,283	3,417,484	42,313	50,036	92,349
कुल	**153,743,453**	**22,133,831**	**175,877,284**	**125,035,742**	**19,123,662**	**144,159,404**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि :						
वर्ष के प्रारंभ में शेष	64,078,073.00	542,140.00	64,620,213.00	11,526,131.00	2,060,170.00	13,586,301.00
जोड़ें : कॉरपस/पूंजीगत निधि में अंशदान						
जोड़ें : लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण समायोजन						
जोड़ें/घटाएं : निम्न से अंतरित निवल आय का शेष/(व्यय)						
घटाएं : अथ शेष						
आय एवं व्यय लेखा		1,288,097.00	1,288,097.00	52,551,942.00	(1,518,030.00)	51,033,912.00
घटाएं : रिजर्व एवं अधिशेष में अंतरित	60,143,705.00	307,702.00				
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**3,934,368.00**	**1,522,535.00**	**65,908,310.00**	**64,078,073.00**	**542,140.00**	**64,620,213.00**
अनुसूची 2 - रिजर्व एवं अधिशेष :						
1. पूंजीगत रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार	60,143,705.00	-	60,143,705.00		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	16,731,190.00	307,702.00	17,038,892.00		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-			-	-
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
3. विशेष रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
4. सामान्य रिजर्व :						
पिछले लेखे के अनुसार		-	-		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		-	-		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां		-	-		-	-
कुल	**76,874,895.00**	**307,702.00**	**77,182,597.00**		**-**	**-**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान :						
क. वर्तमान देयताएं						
टीडीएस संविदाकार						
अव्ययित सहायतानुदान	7,520,633.00	582,710	8,103,343.00	223,634.00	-	223,634.00
ईपीएफ संगठन						
व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'ग' के अनुसार)	704,546.00	735,587	1,440,133.00	46,255,698.00	529,585	46,785,283.00
अशोक टूर एण्ड ट्रैवर्ल्स						-
ईपीएफ संगठन		24,250	24,250.00		29,978	29,978.00
प्रतिभूति जमा (एसीएमई लि.)		10,000	10,000.00		10,000	10,000.00
प्रतिभूति जमा (वर्मा सिक्योरिटीज)		70,000	70,000.00		70,000	70,000.00
प्रतिभूति जमा (क्रिएटिव सॉल्यूशन)		10,000	10,000.00		10,000	
टीडीएस संविदाकार		14,006	14,006.00	230	7,342	7,572.00
टीडीएस व्यावसायिक			-		800	
संयोग एसीए, ओडिशा	-		-	-		-
आईटीडीसी (विज्ञान भवन)	-	-	-	-	-	-
कुल क	**8,225,179.00**	**1,446,553**	**9,671,732**	**46,479,562**	**657,705**	**47,126,467**

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
ख. प्रावधान :						
1. कराधान के लिए						
2. उपदान	-	3,720,792	3,720,792.00	-	3,720,792	3,720,792.00
3. अधिवर्षिता/पेंशन						
4. संचित छुट्‌टी नकद भुगतान	-	3,932,035	3,932,035.00	-	3,932,035	3,932,035.00
5. व्यापार वारंटियां/दावे						
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
प्रशासन एवं स्थापना व्यय हेतु प्रावधान (अनुलग्नक 'घ')						-
व्यय हेतु प्रावधान						
कुल ख.	**-**	**7,652,827**	**7,652,827**	**-**	**7,652,827**	**7,652,827**
कुल (क+ख)	**8,225,179.00**	**9,099,380**	**17,324,559**	**46,479,562**	**8,310,532**	**54,779,294**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

(योजना)

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक - क के अनुसार ब्यौरा **31.3.2014 की स्थिति के अनुसार**

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>1. भूमि :</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>2. भवन :</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, जुड़नार	3,251,249		-	3,251,249	-	205,804	-	205,804	3,045,445	3,251,249

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
6. कार्यालय उपस्कर			-	-				-	-	-
7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटर से जुड़ी वस्तुएं	968,326	696,495	-	1,664,821	543,664	232,234	-	775,898	888,923	424,662
8. विद्युत संस्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**4,219,575**	**696,495**	**-**	**4,916,070**	**543,664**	**438,038**	**-**	**981,702**	**3,934,368**	**3,675,911**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									**-**	
कुल जोड़									**3,934,368**	**3,675,911**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

(गैर-योजना)

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां : अनुलग्नक - ख के अनुसार ब्यौरा **31.3.2014 की स्थिति के अनुसार**

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. भूमि :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) पूर्णस्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे की जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था की नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एवं उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, जुड़नार	1,836,983	98,600	-	1,935,583	1,307,836	86,987	-	1,394,823	540,760	529,147
6. कार्यालय उपस्कर	1,261,709	352,618	-	1,614,327	710,992	57,235		768,227	846,100	550,717

राशि रुपयों में

विवरण	कुल ब्लॉक				ह्रास मूल्य				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान की गई कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़ी राशि पर	वर्ष के दौरान की गई कटौती पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
7. कम्प्यूटर/कम्प्यूटर से जुड़ी वस्तुएं	2,328,979	5,965	-	2,334,944	2,188,245	11,183	-	2,199,428	135,516	140,734
8. विद्युत संस्थापना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. पुस्तकालयी पुस्तकें	47,760		-	47,760	47,601	-	-	47,601	159	159
10. नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**5,475,431**	**457,183**	**-**	**5,932,614**	**4,254,674**	**155,405**	**-**	**4,410,079**	**1,522,535**	**1,220,757**
ख. पूंजीगत चालू कार्य									**-**	
कुल जोड़									**1,522,535**	**1,220,757**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 तक की अवधि/को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 9 - अभिनिर्धारित / अक्षय निधियों से निवेश :						
1. सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-
3. शेयर		-			-	
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
कुल			**-**			**-**
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य :						
1. सरकारी प्रतिभूतियों में			-			-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में			-			-

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	Total
3. शेयर		-			-	
4. डिबेंचर्स एवं बोन्ड्स			-			-
5. सहायक एवं संयुक्त नवोद्यम			-			-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)			-			-
उपचित ब्याज लेकिन जो प्राप्त नहीं हुआ है						
मियादी जमा (सिंडिकेट बैंक के पास)	-	5,470,230.00	5,470,230.00		4,204,953.00	4,204,953.00
कुल	**-**	**5,470,230.00**	**5,470,230.00**	**-**	**4,204,953.00**	**4,204,953.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि						
क. चालू परिसंपत्तियां :						
1. संपत्ति - सूची :						
क) भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जे		-			-	
ख) खुले औजार		-			-	
ग) स्थायी खजाना						
तैयार माल		-			-	
चालू कार्य	-			-		
कच्चा माल		-	-		-	-
कुल						
2. विविध देनदार :						
क) छः माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण						
ख) अन्य					-	
3. हस्तगत बकाया रोकड़ (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) :	16,624.00	19,036.00	35,660.00	23,907.00	17,593.00	41,500.00

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
4. बैंक में जमा राशि :						
क) अनुसूचित बैंकों में :						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)						
* बचत खातों में	7,503,593.00	1,338,083.00	8,841,676.00	265,379.00	77,718.00	343,097.00
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में :						
* चालू खातों में						
* जमा खातों में						
* बचत खातों में						
कुल					-	
5. डाकघर - बचत खाते						
	-			-		
कुल	**7,520,217.00**	**1,357,119.00**	**8,877,336.00**	**289,286.00**	**95,311.00**	**384,597.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी ...)						
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां						
1. ऋण :						
क) कर्मचारी (अनुलग्नक 'ख')		132,100.00	132,100.00	129,850.00	116,200.00	246,050.00
ख) संस्था की गतिविधियों जैसी गतिविधियों में संलग्न/ समान उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाएं						
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
2. नकद अथवा माल के रूप वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां अथवा प्राप्त किए जाने वाला मूल्य						
क) पूंजीगत खाते में						
ख) पूर्व भुगतान						
ग) अन्य :						
अनुलग्नक 'ख' के अनुसार प्रशिक्षण और जागरूकता	4,427,862.00	170,407.00	4,598,269.00	3,556,103.00	170,407.00	3,726,510.00
एनआई सी	4,793,083.00	203,700.00	4,996,783.00	6,375,788.00	759,876.00	7,135,664.00
के.लो.नि.वि.	5,524,237.00	1,146,215.00	6,670,452.00	1,705,306.00	1,146,215.00	2,851,521.00

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
लीज लाइन के लिए भुगतान किया अग्रिम (एमटीएनएल एवं	934,996.00		934,996.00			-
एनआईसीएसआई)			-			-
प्रतिभूति जमा (फोन)						
डीएवीपी	61,851,294.00		61,851,294.00	94,080,511.00	-	94,080,511.00
घ) डाक-व्यय अग्रिम		59,004.00	59,004.00	-	50,004.00	50,004.00
एनआईसीएसआई		-				-
एनआईडी खाता		250,000.00	250,000.00		250,000.00	
डी.जी.एस. एण्ड डी.	40,385.00	1,791.00	42,176.00	736,880.00	309,325.00	1,046,205.00
सम्पदा निदेशालय	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00		8,000.00
3. उपर्जित आय :						
क) चिह्नित/अक्षय निधि से निवेश पर						
ख) अन्य निवेशों से (एफडीआर)	-	604,732.00	604,732.00	-	507,040.00	507,040.00
ग) ऋणों एवं अग्रिम से	-	11,784.00	11,784.00	-	22,584.00	22,584.00
घ) अन्य (भुनाई नहीं गई देय राशि सहित)						
प्राप्ति योग्य अनुदान						-
कुल						
4. प्राप्ति योग्य दावे) :						
कुल (ख)	**77,579,857.00**	**2,579,733.00**	**80,159,590.00**	**106,592,438.00**	**3,331,651.00**	**109,674,089.00**
कुल (क+ख)	**85,100,074.00**	**3,936,852.00**	**89,036,926.00**	**106,881,724.00**	**3,426,962.00**	**110,058,686.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 12 - बिक्री और सेवाओं से आय :						
1) बिक्री से आय			-			-
क) तैयार माल की बिक्री			-			-
ख) कच्चे माल की बिक्री			-			-
ग) रद्दी माल की बिक्री			-			-
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार			-			-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा			-			-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली			-			-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			-			-
ड़) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल	-	-	-	-	-	-
अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी :						
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सहायिकी)						
जोड़ें :- प्रारंभिक अव्ययित अनुदान	223,634	-	223,634	4,317,639	1,212,278	

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1) केंद्र सरकार	53,711,000	16,966,000	70,677,000	55,683,000	13,700,000	69,383,000
घटाएं : 31/3/2014 को अव्ययित शेष	7,520,633	582,710	8,103,343	223,634	-	
2) राज्य सरकार (रें)					-	
3) सरकारी अभिकरण					-	
4) संस्थाएं/कल्याण निकाय					-	
5) अंतरराष्ट्रीय संगठन					-	
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					-	
कुल	**46,414,001**	**16,383,290**	**62,797,291**	**59,777,005**	**14,912,278**	**69,383,000**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि :						
1) रायल्टी से आय			-			-
2) प्रकाशन से आय			-			-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-			-
कुल			**-**			**-**
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज :						
1) मियादी जमा पर :						
क) अनुसूचित बैंको से (अर्जित ब्याज लेकिन प्राप्त नहीं)			-			-
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से			-			-
ग) संस्थाओं से			-			-
घ) अन्य		-			-	
2) बचत खातों पर :			-			-
क) अनुसूचित बैंको से	435,681	543,610	979,291	429,663	513,645	943,308
ख) गैर-अनुसूचित बैंको से						-

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
ग) संस्थाओं से						-
घ) अन्य					-	
3) ऋणों पर :						-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-		-	-	19,758	19,758
घ) अन्य					-	
4) देनदारों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज						-
कुल	**435,681**	**543,610**	**979,291**	**429,663**	**533,403**	**963,066**

नोट : स्रोत पर कर कटौती का उल्लेख किया जाए।

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 18 - अन्य आय :						
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						-
क) स्वामित्व प्राप्त परिसंपत्तियां						-
ख) अनुदानों से अधिगृहीत अथवा निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां						-
2) वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन						-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क						-
4) विविध आय	12,047	-	12,047	-	11,500	11,500
पुराने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की बिक्री						-
फ्रेकिंग मशीन के उपयोग पर डाक विभाग द्वारा दी गई छूट						-
आरटीआई शुल्क	-	290	290	-	710	710
प्राप्त विदेशी अनुदान	-	77,108	77,108	-	61,968	61,968
अंतर्राष्ट्रीय बैठक (पंजीकरण शुल्क खाता)	-	-	-	3,262,203	-	3,262,203
कुल	**12,047**	**77,398**	**89,44**	**3,262,203**	**74,178**	**74,178**
अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक एवं चालू कार्य में वृद्धि/कमी :						
क) अंत स्टॉक						

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
i) तैयार माल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक						
i) तैयार माल			-			-
ii) चालू कार्य			-			-
कुल						

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 20 - स्थापना व्यय :						
क) वेतन और मजदूरी		8,475,331	8,475,331		8,906,515	8,906,515
जनशक्ति प्रभार		-	-		158,548	158,548
ख) भत्ते, बोनस और मानदेय		128,558	128,558		147,195	147,195
ग) शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति		208,750	208,750		270,000	270,000
घ) पेंशन और छुट्टी वेतन का अंशदान		61,799	61,799		940,272	940,272
इ) चिकित्सा व्यय		250,663	250,663		168,085	168,085
च) छुट्टी यात्रा रियायत व्यय		327,705	327,705		100,812	100,812
छ) यूनीफार्म प्रभार		-	-		-	-
ज) भविष्य निधि से नियोक्ता का अंशदान		811,798	811,798		870,926	870,926
झ) ईडीएलआई (पीएफ)		43,193	43,193		38,728	38,728
ञ) ईपीएफ प्रशासन प्रभार		95,884	95,884			
ट) समायोपरि भत्ता					-	-
उपदान प्रावधान					779,470	779,470
संचित छुट्टी वेतन प्रावधान						-
कुल क+ख	-	**10,403,681**	**10,403,681**	-	**12,380,551**	**12,380,551**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय :						
समाचार पत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		33,963	33,963		29,238	29,238
कार्यालय उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव		509,425	509,425		215,920	215,920
वाहन किराया (कार)		800,153	800,153		852,338	852,338
डाक और तार प्रभार		117,055	117,055		64,749	64,749
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		461,049	346,452		346,452	346,452
यात्रा व्यय		387,932	387,932		618,773	618,773
विदेश यात्रा व्यय		-	-		2,189	2,189
वाहन व्यय		47,570	47,570		40,543	40,543
बैठक व्यय		48,734	48,734		51,803	51,803
व्यावसायिक प्रभार एवं विधायी		48,513	48,513		210,466	210,466
परामर्श सेवा प्रभार	3,521,636	-				
बैंक प्रभार	1,349	1,413	2,762	5,250	590	5,840
कार्यालय व्यय		51,797	51,797		44,358	44,358
विज्ञापन एवं प्रचार	16,994,472	-	16,994,472		-	-
टेलीफोन प्रभार		236,998	236,998		290,670	290,670
वार्षिक बैठक व्यय		-	-		-	-
लेखापरीक्षा शुल्क		108,873	108,873		73,168	73,168

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
आतिथ्य		30,911	30,911		28,800	28,800
भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय		8,802	8,802		36,372	36,372
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम व्यय	2,590,106	-	2,590,106	7,011,785	-	7,011,785
जल एवं विद्युत प्रभार		47,340	47,340		42,090	42,090
सुरक्षा एवं सफाई व्यय		806,774	806,774		869,689	869,689
कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव		10,790	10,790		-	-
कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं अन्य सहायक सामग्री		18,667	18,667		14,045	14,045
केयरिंग्स एवं परामर्श प्रभार	4,882,705	-				
बैठक शुल्क खाता		783,300	783,300		610,000	610,000
हिंदी पखवाड़ा व्यय		39,000	39,000		39,000	39,000
विविध/जारी व्यय		-	-		-	-
सम्मेलन एवं प्रदर्शनी व्यय	1,702,233	-	1,702,233	759,865	-	759,865
सूचना प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग व्यय		556,176	556,176		-	-
कार्यालय फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव		1,880	1,880		13,850	13,850
शोध एवं मूल्यांकन व्यय		-	-		-	-
कारा न्यूज शैल्टर व्यय		-	-		-	-
अंतरराष्ट्रीय बैठक व्यय	-	-	-	2,983,064	-	2,983,064
कुल जोड़	**29,692,501**	**5,157,115**	**26,330,678**	**10,759,964**	**4,495,103**	**15,255,067**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची - 24

लेखों को तैयार करने की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां/आधार :

1. **लेखांकन रीति :**

   वित्तीय विवरण लेखांकन की उपचित विधि से तैयार किए गए हैं।

2. **समान सूची का मूल्यांकन :**

   भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. **निवेश :**

   ''दीर्घकालिक निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4. **स्थायी परिसंपत्तियां :**

   4.1 स्थायी परिसंपत्तियां आवक माल भाड़े, शुल्क एवं करों और अधिग्रहण से संबंधित प्रासंगिक एवं प्रत्यक्ष खर्चों सहित अधिग्रहण की लागत पर नियत की गई हैं।

   4.2 अनावर्ती अनुदान के माध्यम से अर्जित की गई स्थायी परिसंत्तियों का पूंजीकरण पूंजीगत निधि के समतुल्य साख द्वारा बताए गए मूल्यों पर किया जाता है।

5. **मूल्याहास :**

   5.1 मूल्यहास कंपनी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर दिया जाता है।

   क. वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास यथानुपात आधार पर किया जाता है।

   ख. 5000/- रुपये अथवा उससे कम मूल्य वाली परिसंपत्तियां पूर्णरूप से दी गई हैं।

   ग. स्थायी परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य कुल लागत के 5% की दर पर किया गया है।

6. **सरकारी अनुदान/सहायिकी :**

   6.1 सरकारी अनुदान/सहायिकी की गणना वसूली आधार पर की जाती है।

   6.2 केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान पूंजीगत खर्चों के लिए विशिष्ट अनुदेश के साथ प्राप्त नहीं हुए और इसलिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च की गई राशि, जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पूंजीगत राशि के अंतर्गत दर्शाई गई है।

7. **<u>पट्टा :</u>**

पट्टा किराए की राशि पट्टे की शर्तों के संदर्भ में खर्च की गई।

8. **<u>सेवानिवृत्ति लाभ :</u>**

8.1 कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता वास्तविक गणना पर उपार्जित की जाती है।

8.2 कर्मचारियों को संचित छुट्टी नकदी लाभ के लिए प्रावधान उपचित किया जाता है और इस परिकल्पना पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत पर लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

*****

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लेखों का भाग बनी अनुसूचियां

अनुसूची - 25

आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के लिए आकस्मिक देयताएं शून्य रुपये हैं।
2. प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य वसूली के समय कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के योगफल के बराबर होता है।
3. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर योग्य कोई राशि नहीं होने के मद्देनजर, आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
4. पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, पुनः वर्गीकृत/ पुनर्योजित किया गया है।
5. अनुसूची 1 से 25 संलग्न हैं और वे 31 मार्च, 2014 तक के तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं।

*****

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

<u>प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए अग्रिम</u>

31.3.2014 तक की स्थिति **अनुलग्नक - ख**

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तारीख	राशि गैर-योजना	योजना
1	महानिदेशक, आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक अकादमी, भोपाल	13.11.2006	106,080	
2	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार	21.11.2006	64,327	
3	भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली	19.8/10.9.2008		618,860
4	निदेशक, म.बा.वि., रायपुर	22.08.2008		164,320
5	आरसीवीपी नरोना प्रशासनिक अकादमी, भोपाल	23.03.2010		160,320
6	यशोदा, पुणे			55,000
7	निदेशक, म.बा.वि., रायपुर	03.06.2010		164,320
8	निदेशक, म.बा.वि., चंडीगढ़	18.06.2010		164,320
9	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, भोपाल	04.11.2010		233,736
10	निदेशक, समाज कल्याण, जयपुर, राजस्थान	11.01.2011		73,520
11	निदेशक, समाज कल्याण, पटना, बिहार	09.02.2011		228,396
12	निदेशक, म.बा.वि., आंध्र प्रदेश	24.02.2011		248,808
13	निदेशक, समाज कल्याण, रांची	14.07.2011		92,336
14	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, नागालैंड	02.09.2011		99,704
15	आयुक्त, म.बा.वि., रायपुर	17.10.2011		99,704
16	आईसीडीएस, सोसायटी, बैंगलुरू, कर्नाटक	20.10.2011		54,400
17	म.प्र. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, भोपाल	30.11.2011		99,704
18	म.प्र. राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, भोपाल (केयरिंग्स)	30.11.2011		32,400
19	निदेशक, समाज कल्याण, गुवाहाटी, असम	10.02.2012		90,515
20	कर्नाटक समेकित बाल संरक्षण सोसायटी	25-6-2012		75,400

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन/सरकारी कार्यालय का नाम	निर्मुक्ति की तारीख	राशि गैर-योजना	योजना
21	म.बा.वि., चंडीगढ़	3/10/2012		106,172
22	राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	20/11/2012		50,971
23	राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	18/12/2012		24,400
24	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, रांची	5/29/2013		100,000
25	निदेशक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी	6/4/2013		158,000
26	निदेशक, समाज कल्याण, पं. बंगाल (सिलीगुड़ी कार्यक्रम)	06.06.2013		158,000
27	निदेशक, म.बा.वि., बैंगलुरु	26.06.2013		215,100
28	सुदत्ता, दत्तक ग्राही माता-पिता संघ, बैंगलुरु	11/11/2013		106,000
29	निदेशक, समाज कल्याण, तमिलनाडु, चैन्नई	11/25/2013		157,916
30	निदेशक, म.बा.वि., हिमाचल प्रदेश, शिमला	12/21/2013		154,528
31	चैयरमैन, वीसीए हैदराबाद	1/17/2014		36,585
32	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार	1/28/2014		101,179
33	निदेशक, समाज कल्याण, पं. बंगाल कोलकाता	3/25/2014		303,248
	कुल		**170,407**	**4,427,862**

कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम :

कर्मचारी का नाम	बकाया राशि 31.3.2014 तक की स्थिति	बकाया राशि 31.3.2013 तक की स्थिति	
क. त्यौहार अग्रिम :			
श्री रितेश आहूजा, डीईओ	2,250	2,250	
श्री संजय कुमार, डीईओ	2,250	2,250	
श्री देवेन्द्र कुमार	2,250	2,250	
श्री रवि रावत, डीईओ	2,250	2,250	
श्री सरवन कुमार	2,250	-	
श्री बलजीत सिंह	2,250	-	
श्री विजय सिंह	2,250	2,250	
श्री भगत, चपरासी	2,250	2,250	
कुल क	**18,000**	**13,500**	
ख. कम्प्यूटर अग्रिम :			
श्री बी. के. साहू, उप निदेशक	12,400	17,200	
ग. कार अग्रिम :			
श्री बी. के. साहू, उप निदेशक	74,700	85,500	
घ. स्कूटर अग्रिम :			
श्री विजय सिंह, स्टेनो	27,000		
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**132,100**	**116,200**	

अनुलग्नक - ग

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31/03/2014 तक की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान

योजना

विवरण	राशि
पिछले वर्ष का प्रावधान (बकाया)	704546.00
कुल	**704,546.00**

वित्तीय विवरण

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पूरम, नई दिल्ली-110066

31/03/2014 तक की स्थिति के अनुसार व्यय हेतु प्रावधान

गैर-योजना

विवरण	राशि
टेलीफोन व्यय	
डा. जे. पति - 6626/- रुपये एमटीएनएल - 14350/- रुपये	20976.00
यात्रा व्यय - डा.जे. पति दिल्ली-मुम्बई टूर	28,347.00
सुरक्षा एवं सफाई प्रभार	648,372.00
भाड़े पर कार लेने का प्रभार	37,892.00
कुल	**735,587.00**

''मैंने आपको तलाशा, यद्यपि मैंने आपका चेहरा नहीं देखा था और अंततः जब आप हमारे हो गए, तो हमारी जिंदगी को एक नया आयाम मिला। अब हमारा परिवार पूर्ण हो गया है''

केन्द्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त निकाय)

पश्चिमी खण्ड-8, विंग-2, द्वितीय तल, आर.के. पुरम. नई दिल्ली-110066

फोन नं : 91-011-26180194, 26105346, 26106783, 26103378 फैक्स नं : 91-011-26180198,

ई-मेल : carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट : www.adoptionindia.nic.in

CARA

Central Adoption Resource Authority

(An autonomous body of the Ministry of Women & Child Development, Government of India)
West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066
Ph. No. : 91-011-26180194, 26105346, 26106783, 26103378, Fax No. : 91-011-26180198
E-Mail : carahdesk.wcd@nic.in; Website : www.adoptionindia.nic.in